लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *435

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र अपशिष्ट का पुनर्चक्रण

***435. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वस्त्र अपशिष्ट और जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं के दृष्टिगत क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की वस्त्र निर्माण में आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने को बढ़ावा दिए जाने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विशेषकर असम के हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र के छोटे उद्योगों की वस्त्र अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग कार्य में सहायता किए जाने का कोई प्रस्ताव/योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"वस्त्र अपशिष्ट के पुनर्चक्रण" के संबंध में मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *435 के उत्तर का विवरण।

(क): वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने और प्रसंस्करण क्लस्टरों/प्रसंस्करण पार्कों में नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन की सहायता करने के लिए, सरकार वर्ष 2013 से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सुविधा प्रदान करना है। यह योजना मौजूदा वस्त्र क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के लिए भी लागू होगी। इस योजना को दिनांक 31.03.2021 तक लागू किया गया था। अब, यह योजना केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लागू की जा रही है। इसके अलावा, बढ़ते वस्त्र अपशिष्ट के प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार ने कई गतिविधियां शुरू की हैं जिनमें वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के मैपिंग पर अध्ययन, नवी मुंबई में वस्त्र अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए एक केंद्र विकसित करने के लिए नवी मुंबई नगर निगम, वस्त्र समिति और अन्य के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया, सरकारी खरीद में अपसाइकिल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र समिति, सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (Standing Conference of Public Enterprises) (स्कोप) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है।

(ख): पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित वस्त्र मशीनरी के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को लागू कर रही है, जो 31.03.2022 तक वैध थी। यह योजना वर्तमान में केवल प्रतिबद्ध (Committed) देनदारियों (liabilities) को पूरा करने के लिए चल रही है।

(ग): वस्त्र अपशिष्ट के पुनर्चक्रण (Recycled) और पुनः उपयोग के लिए असम के हथकरघा और लघु उद्योग क्षेत्र की ओर से कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***